महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

दिनांक : 02.08.2022

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्ब./2022/1229

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
   विश्वविद्यालय परिसर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक,
   समस्त सम्बद्ध (राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित) महाविद्यालय,
   महा.ज्यो.फु. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः-यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए कराई जाये या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2065/सत्तर-3-2022 दिनांक 01 अगस्त, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 01.10.2021 को घोषणा की गई है कि "यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही हैं, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ करायी जाय या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी"।

उक्त के क्रम में यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कितना व्ययभार वहन करना पड़ेगा तथा लाभन्वित होने वाले छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, की सूचना शासन द्वारा चाही गई है।

अतः उक्त सूचना दिनांक 04.08.2022 तक **E-mail Id- draffiliationmjpru@gmail.com** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे उक्त सूचना से शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः-यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
4. मीडिया प्रभारी।
5. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता/परीक्षा)।
6. निजी सचिव-कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
7. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
8. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

कुलसचिव

AR-8738

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा/शीर्षप्राथमिकता
संख्या– 2065/सत्तर–3–2022

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक ,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2022**

विषयः–यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाये या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र सं0–536(1)/अड़सठ–3–2022, दिनांक 25.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृप्सया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 01.10.2021 को घोषणा की गई है कि " यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्सहित करते हुए माफ करायी जाय या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी"। इस सम्बन्ध में किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पड़ेगा तथा उक्त छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पड़ेगा तथा लाभान्वित होने वाले छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, की सूचना से दिनांक 05.08.2022 तक प्रत्येक दशा में शासन को उपलबध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

AR (Aff.)

01/08/22

कुलसचिव

02-8-22